

**संचालनालय, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी ,  
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष), छत्तीसगढ़, रायपुर  
बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.एन.वाय.एस. /बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम  
सत्र 2016-17 में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्यक्रम**

**--:: तृतीय चरण की काउंसिलिंग सूचना ::--**

**काउंसिलिंग स्थल :- शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, जी.ई.रोड, रायपुर (छ.ग.)**

बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.एन.वाय.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम, सत्र 2016-17 में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (आयुष) विभाग नई दिल्ली/राज्य सरकार से अनुमति/ विश्वविद्यालय से संबद्धता के आधार पर आयुष महाविद्यालयों के द्वितीय चरण की काउंसिलिंग उपरांत रिक्त रही सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसिलिंग आयोजित है। प्रवेश के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा 2016 में सम्मिलित छत्तीसगढ़ के मूल निवासी प्रवेशार्थियों को श्रेणी/संवर्गवार काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया जाता है। ऐसे उम्मीदवार जिनका प्रकाशित मेरिट सूची में प्राप्तांक श्रेणी/संवर्गवार निम्नानुसार है वे इस सूचना के आधार पर काउंसिलिंग में अवसर (चान्स) लेने हेतु उपस्थित हो सकते हैं :-

**समय सारिणी - शासकीय नियतांश हेतु**

दिनांक	श्रेणी/संवर्ग	रजिस्ट्रेशन का समय	प्रवेश परीक्षा के कुल प्राप्तांक
28.11.2016 (सोमवार)	अनारक्षित (निल)	प्रातः 8.30 से 11.00 बजे तक	न्यूनतम 70.012 तक
	(सैनिक)	-----"-----	न्यूनतम 60.683 तक
	(एफ.एफ.)	-----"-----	न्यूनतम 60.483 तक
	(विकलांग)	-----"-----	न्यूनतम 60.748 तक
29.11.2016 (मंगलवार)	अजजा (निल)	प्रातः 8.30 से 10.30 बजे तक	न्यूनतम 50.111 तक
	(सैनिक)	-----"-----	न्यूनतम 45.966 तक
	(एफ.एफ.)	-----"-----	न्यूनतम 44.947 तक
	(विकलांग)	-----"-----	न्यूनतम 45.012 तक
	अजा (निल)	प्रातः 10.30 से 11.30 बजे तक	न्यूनतम 59.508 तक
	अपिव (निल)	प्रातः 11.30 से 12.30 बजे तक	न्यूनतम 70.012 तक

- (अ) छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2014 में निहित प्रावधान अनुसार सीटों को परिवर्तित किया जावेगा।
- (ब) ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम/द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में चयनित/उपस्थित नहीं हो सके हैं, वे भी काउंसिलिंग में अवसर (चान्स) लेने हेतु उपस्थित हो सकते हैं।

(स) प्रवेश हेतु रिक्त सीटों की संख्या परिवर्तनीय है। शासकीय/निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में संभावित रिक्तियां निम्नानुसार है :-

	अना.				अजजा				अजा अपिव	
	S	FF	Nii	PH	S	FF	Nii	PH		
1. शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0
2. शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0
3. भारती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल दुर्ग	1	1	15	1	0	0	6	0	1	1
4. राजीव लोचन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज दुर्ग	0	0	12	0	0	0	10	0	3	4
5. छ.ग. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव	0	0	12	0	0	0	10	0	4	4
6. मोहसीने मिल्लत यूनानी मेडिकल कॉलेज रायपुर	0	0	6	0	0	0	5	0	2	2
7. सी.एल.चौकसे मेमो. होम्योपैथी कॉलेज बिलासपुर	1	1	17	1	0	0	16	0	6	7
8. रायपुर होम्योपैथी कॉलेज रामकुण्ड रायपुर	0	0	9	0	0	0	8	0	3	4
9. श्रीमहावीर प्राकृतिक एवं योगविज्ञान महा., नगपुरा, दुर्ग	0	0	10	0	0	0	8	0	3	4

टीप- भारत सरकार/ राज्य शासन से अनुमति तथा संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता/निरंतरता प्राप्त होने पर अन्य आयुष महाविद्यालयों को भी काउंसिलिंग में सम्मिलित किया जा सकेगा।

उम्मीदवार निम्नलिखित दस्तावेजों को निम्न कम में व्यवस्थित कर उक्त निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे।

1. व्यापम प्रवेश परीक्षा-2016 की अंकसूची।
2. 10 वीं की मूल अंकसूची।
3. 12 वीं की मूल अंकसूची।
4. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल निवासी प्रमाण-पत्र।
5. एस.सी., एस.टी. एवं ओ.बी.सी. संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को माता पिता का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 का आय प्रमाण-पत्र। जिन उम्मीदवारों माता-पिता शासकीय सेवक हैं उन्हें उक्त तीन वर्षों का फार्म-16 प्रस्तुत करना होगा।
7. अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय उपयुक्तता सिद्ध करने के लिये प्रवेश प्राप्त करने के पूर्व सिविल सर्जन द्वारा प्रदत्त चिकित्सकीय उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. सैनिक संवर्ग के लिए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
9. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग के लिए जिला कलेक्टर के पास रखे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में उनका नाम पंजीकृत है, इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र एक मात्र मान्य/वैध प्रमाण-पत्र होगा।
10. विकलांग संवर्ग में प्रवेश का लाभ प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
11. उपरोक्त दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों का एक सेट एवं दो पासपोर्ट साईज फोटो भी साथ लावें।
12. काउंसिलिंग हेतु अनारक्षित/अ.पि.व.के लिए ₹.500/- तथा अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिये ₹.300/- काउंसिलिंग शुल्क नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जमा करना होगा, जो "प्राचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)" या "Principal, Government Autonomous Ayurvedic College, Raipur (C.G.)" के नाम पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बना हो, एकाउंटपेयी हो तथा रायपुर में देय हो। उक्त राशि वापसी योग्य नहीं है।

13. शैक्षणिक शुल्क :-

- (1) काउंसिलिंग के समय शैक्षणिक शुल्क की राशि नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट /बैंकर्स चेक के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, जो "प्राचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)" या "Principal, Government Autonomous Ayurvedic College, Raipur (C.G.)" के नाम पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बना हो, एकाउंटपेयी हो तथा रायपुर में देय हो।

- (2) काउंसिलिंग के समय शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर/बिलासपुर का शुल्क – सामान्य / ओ.बी.सी.के लिए रु 8,635/- तथा अनुसूचित जाति /जनजाति के लिए रु. 3,235/- जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा अभ्यर्थी चयन का अवसर खो देगा।
- (3) काउंसिलिंग के समय प्रदेश के निजी क्षेत्र के आयुर्वेद महाविद्यालय, दुर्ग/राजनांदगांव के शुल्क का 50 प्रतिशत रु. 51,700/- जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी चयन का अवसर खो देगा।
- (4) काउंसिलिंग के समय प्रदेश के निजी क्षेत्र के छदामी लाल चौकसे मेमो. होम्योपैथी चिकि. महाविद्यालय बिलासपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत रु. 25,900/-, रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत रु. 25,400/-, महाराणा प्रताप होम्योपैथी मेडि.कालेज, न्यु राजेन्द्र नगर, रायपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत रु. 23,850/-, प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय, नगपुरा, दुर्ग के शुल्क का 50 प्रतिशत रु. 26,400/- तथा मोहसीने मिल्लत यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत रु. 27,000/- जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी चयन का अवसर खो देगा।
- (5) शुल्क की शेष राशि अभ्यर्थी को प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

नोट :-

- (1) यदि कोई सेमेस्टर एक वर्ष छः माह का है तो अभ्यर्थी से अनुपातिक एक वर्ष छः माह का शुल्क लिया जावेगा।
- (2) समस्त निजी महाविद्यालयों द्वारा लिया गया अंतरिम शुल्क एवं निर्धारित अंतिम शुल्क में अन्तर की राशि छात्र द्वारा/संस्था द्वारा जैसा भी प्रकरण हो संस्था को/छात्र को वापस देय होगा। इस संबंध में वचनपत्र लिया जावेगा कि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति/शासन द्वारा शुल्क निर्धारित किए जाने के बाद तदनुसार शुल्क का समायोजन अंतिम रूप से किया जावेगा।
- (3) सीटों का विस्तृत विवरण काउंसिलिंग स्थल पर काउंसिलिंग के समय चर्या किया जावेगा।
- (4) काउंसिलिंग के दौरान उन्हीं महाविद्यालयों की सीटों पर आबंटन किया जाएगा, जिन्हें भारत सरकार/ राज्य शासन से अनुमति तथा संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता/निरंतरता प्राप्त होगी।
- (5) काउंसिलिंग से संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट [www.cgaupcb.in](http://www.cgaupcb.in) एवं [cghealth.nic.in/ehealth/dishm/index.html](http://cghealth.nic.in/ehealth/dishm/index.html) पर उपलब्ध है।

संचालक

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़